

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-मु0अ0-4(मु0) 3054-01-02/2022 - 50
प्रेषक,

पटना, दिनांक-30/5/2022

संजय दूबे, भा0प्र0से0
विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

सेवामें,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड- 37-3054-04-105-001)) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में कॉलम- 6 एवं 7 में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार पूर्ण पुर्नस्थापन हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

Sl.NO	Name of Division	Block	Name of Road	Total length (In Km)	Damaged Length (in Km)	Technically Approved Amount (in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7
1	Phulparas	Ghoghardhia	Narahiya Bazar NH-57 to Supaul via Parsa Railway Halt, Sarauti, Kuphayi	2.27	0.553	17.010
2	Phulparas	Laukahi	Bajuband to Matahi	2.06	0.164	7.002
3	Phulparas	Khutauna	Bagha Mandal Tol to Madarsa	1.34	0.08	2.347
4	Phulparas	Laukahi	Laukahi to Bangama	15.03	0.747	38.625
5	Phulparas	Phulparas	Jagatpur to Khargama	2.15	0.033	0.796
6	Phulparas	Phulparas	Arariya to Ghoghardhia	12.47	0.503	11.864

Veran-Approved
J. Kumar

28/5/2022

Sl.NO	Name of Division	Block	Name of Road	Total length (In Km)	Damaged Length (in Km)	Technically Approved Amount (in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7
7	Phulparas	Laukahi	L039- T03 to Amchiri	1.23	0.077	2.507
8	Phulparas	Laukahi	L049- T03 to Hairaha	5.06	0.242	6.424
9	Phulparas	Laukahi	NH-57 to Mainha	2.74	0.191	4.044
10	Phulparas	Laukahi	L050- T01 to Chikani	3.30	0.076	2.282
11	Phulparas	Laukahi	Dhanchhiya to Bagewa	6.80	0.73	22.065
12	Phulparas	Laukahi	T01 to Laxmipur	2.44	0.205	5.831
13	Phulparas	Laukahi	Dumara Chowk NH-104 to via Singrahi Laukahi Bazar Chowk to Bihul River NH-104	3.80	0.433	11.230
14	Phulparas	Khutauna	Durgipatti (Bijli Mandal Ke ghar) to Hudra Harijan Tola	2.24	0.102	2.904
15	Phulparas	Phulparas	Sijauliya NH-57 to Khargama	4.55	0.269	8.853
16	Phulparas	Phulparas	Sugapatti to Kalapatti	1.92	0.265	7.946
17	Phulparas	Laukahi	Bharfori to Neor	2.88	0.077	2.523
18	Phulparas	Laukahi	Auraha to Mahadeva	1.10	0.014	1.239
19	Phulparas	Ghoghardhia	Ghoghardiha Dih Nagar Sima to Bharat Jha ke Ghar via Barmotar, Rajuahi Primary MMGSY SC School	2.13	0.264	8.099
20	Phulparas	Laukahi	L048-T06 to Karharwa	4.40	0.128	7.270
21	Phulparas	Laukahi	T02- Chharapatti Laukahi Mahadev Math Rajaram Patti to Narahiya Road Ch 0 to 1295	4.40	0.77	19.618

84.31

190479

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, फुलपरास योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/ विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वितकराकर एकरारनामा एवं सुसंगतवित्तीय प्रावधानों के पालन उपरांतपूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

Signature
J. Kumar

28/5/2020

3. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-मु0अ0-4(मु0) 3054 -04-147/2022 में दिनांक 20.04.2022 का प्राप्त है।
4. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
5. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. एकारारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओ किसी अन्य अनुरक्षण कार्य क्रम से अच्छादित नहीं हो।
7. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर विभाग के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
8. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
9. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्वविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
10. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑनलाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
12. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों कोस-समय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका-मु0अ0-4(मु0) 3054 -01-02/2022 के पृव- 5 /टि0 पर दिनांक-को प्राप्त है।
14. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना दिनांक 28.05.22 को संचिका संख्या - मु0अ0-4(मु0) 3054 -01-02/2022 में अनुमोदन प्राप्त है।

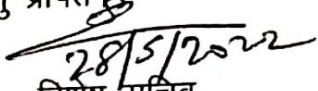
Prakash Aggarwal
J. Kumar

विश्वासभाजन
28/5/22
(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :- मु0अ0-4(मु0) 3054-01-02/2022 - 50

/पटना, दिनांक-30/5/2022

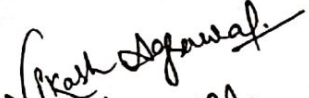
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित


28/5/2022
विशेष सचिव

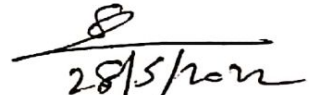
ज्ञापांक :- मु0अ0-4(मु0) 3054 -01-02/2022 - 50

/पटना, दिनांक-30/5/2022

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीणकार्य विभाग के आप्तसचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्तविभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिलापदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करन हेतु एवं आई0 टी0 मैनेजर का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


J. Kumar

6


28/5/2022
विशेष सचिव